छच्चीस-२ सचिवालय

विषय: विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू पी 871/2016 श्री सुनील कुमार अरूणाकर विरूद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य ।

> पंजी कमांक 558/16/36 दिनांक 16.02.2016 उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका

उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका का अवलोकन करें ।

श्री सुनील कुमार अरूणाकर द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू पी 871/2016 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई है, जिसमे जवाबदावा दिनांक 08.03.2016 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना है। जिसकी प्रति मा० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस विभाग को प्रेषित की गई है ।

अतः यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति करने से संबंधित जानकारी नस्ती पर उपलब्ध कराने हेतु नस्ती

संचालक मत्स्योद्योग को अंकित की जाना प्रस्तावित है ।

मिय (अववाय)

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री सुनील कुमार अरूणाकर एवं अन्य विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य के प्रकरण में दायर याचिका क्रमांक 871 / 2016 में शासन पक्ष प्रतिरक्षण हेत् संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश

प्रमुख सक्रिव म.प्र.शासन, र्मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

17/2/16

विषय: विषय:—याचिका कमांक डब्ल्यू पी 871/2016 श्री सुनील कुमार अरूणाकर विरूद्ध म०प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: याचिका कमांक डब्ल्यू पी 871/2016 श्री सुनील कुमार अरुणाकर विरूद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य ।

> पंजी कमांक 648 / 16 / 36 दिनांक 25.02.2016 संवालक मत्स्योद्योग से प्राप्त पत्र दिनांक 24.02.2016

क्पया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मा० उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 22.01.2016 की छायाप्रति संलग्न कर विषयांकित प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं शासन पक्ष हेत संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेत् अनुरोध किया गया है

पूर्व में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने हेतू संचालक मत्स्योद्योग को विभागीय नस्ती क्रमांक 90 / 16 / 36 दिनांक 18.02.2016 से भेजी गई है । परंतु नस्ती वापिस नहीं भेजी गई है।

चूंकि प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है । अतः यदि मान्य हो तो संचालक मत्स्योद्योग के उक्त

प्रस्तावनुसार संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को प्रभारी


अधिकारी नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है । अक्षा अनुमाद्र अस्ताहा है। 137 । अनुमादनाम जन्त्त है।

का विभाग

P-33/c

2001

US



मध्यप्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल :: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 4-3-16

कमांक एफ 22-07/2016/छत्तीसःः सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को याचिका कमांक डब्ल्यू पी. 871/16 श्री सुनील कुमार अरूणाकर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिववनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है रिपॉट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था,तो उस विभाग की राय भी रिपीट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

वादपत्र / याविका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है एक रिपॉट तैयार करेंगा।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेंगा।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।

प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप। (ख)

उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ, इसमें वाद की

सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए.।

मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और (7) मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना ।

जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने,राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

66

1/2//

गैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेंगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

 प्रमारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छपी हुई नहीं रह जाए।

(13) प्रमारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है, तो वह, जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है पारिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की

एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रमारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह, इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश के प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे और उनका यह कर्तव्य रहेंगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील/रिवीजन पेश करने की अनुमित मिल जायें और विहित अविध में

अपील / रिवीजन पेश हो जायें। (प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> क्षण 3 3 16 (कलिस्ता कुजूर)

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

्रमधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग भोपाल दिनांक 4-3-16

पृ०कमांक एफ 22-07/2016/छत्तीस प्रतिलिपि :-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल।

2- संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल ।

3— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0,

4— कलेक्टर जिला जबलपुर की और सूचनार्थ।

5— संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामलें की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सबैव ही भेजनी चाहिए,वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन मध्ये कल्याण तथा मत्स्य विकास

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT **JABALPUR**

Process Id: 9909/2016

WP/871/2016

in anie 558/2016/36 महाआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विवास

ON MERIT

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-2

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, **High Court of Judicature** at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh, Through Principal Secretary Department Of Fisheries Mantralaya Vallabh Bhawan, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 22-01-2016

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/871/2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Sunil Kumar Arunakar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/871/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 08-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

COURT OF MADH

Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR